

राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग

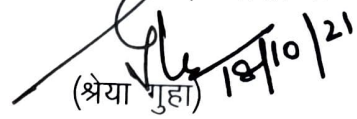
क्रमांक : प.6(1)पर्या./2021

जयपुर, दिनांक: 18.10.2021

आदेश

राज्य सरकार द्वारा सांभर झील के संरक्षण, संवर्धन एवं एकीकृत प्रबन्धन हेतु "सांभर लेक मैनेजमेन्ट एजेन्सी" का एतद्वारा गठन किया जाता है।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(श्रेया गुहा) 18/10/21

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, भू-जल एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यावरण विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन मत्स्य एवं गोपालन विभाग।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, उद्योग विभाग।
14. निजी सचिव, शासन सचिव, पर्यावरण विभाग।
15. निजी सचिव, शासन सचिव, वन विभाग।
16. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
17. मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जयपुर।
18. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य जैवविविधता बोर्ड, जयपुर।
19. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
20. निदेशक, राज्य सुदूर संवेदन केन्द्र, जोधपुर।
21. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग।

उप निदेशक